प्रेषक,

रजत सिंह जैन,
जनपद न्यायाधीश,
इटावा।

प्रेषित,

श्रीमान सेण्ट्रल प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद

पत्रांकः 1502/I दिनांक- 14 /08/ 2025

विषयः **<u>सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की पुनर्नियुक्ति किये जाने की सूचना/विज्ञप्ति माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के संबंध मेंः-</u>**

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये परिपत्र संख्या 14/Admin D Section Dated 15.10.2022 में निर्गत किए गए निर्देशों के अनुपालन में न्यायालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाये जाने के लिये न्यायालय/कार्यालय में रिक्त 24 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के पदो को पुनर्नियुक्त किये जाने के संबंध में प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को पुनर्नियुक्त किये जाने हेतु दिनांक 09.09.2025 की सांय 5:00 बजे तक आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये है। इस संबंध में जारी की गयी सूचना/विज्ञप्ति एवं आवेदन के लिए निर्धारित प्रारूप की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः श्रीमान जी से सादर निवेदन है कि इस पत्र के साथ संलग्न सूचना/विज्ञप्ति माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने की कृपा करें।

सादर।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रजत सिंह जैन)
जनपद न्यायाधीश,
इटावा।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, इटावा।

-आदेश-

आदेश संख्या- 151 **दिनांक-** 14.8.2025

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 14/Admin D Section Dated 15.10.2022 के अनुपालन में जनपद न्यायालय इटावा में रिक्त निम्न पदो पर जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की पुनर्नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र दिनांक 09.09.2025 की सांय 5:00 बजे तक कार्यालय नजारत जिला न्यायाधीश, इटावा में प्राप्त किये जायेंगे।

क्रम सं.	पुनर्नियुक्ति हेतु पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	मानदेय
1.	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	24	Principal of Last Pay drawn Minus Pension amount.

उपरोक्त पद पर पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारीगण का कार्यकाल, नयी नियुक्ति/पदोन्नति का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से होने तक अथवा एक वर्ष के लिए जो भी न्यूनतम हो तथा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अवधि के लिए की जाएगी।

अन्य जनपद न्यायालयों से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण अपने पिछले पाँच वर्षों की चरित्र पंजिका की प्रविष्टि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे।

नोटिस की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए एवं जनपद न्यायालय इटावा की अधिकारिक वेबसाइट एवं माननीय उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करायी जाए तथा प्रति जिला सूचना अधिकारी इटावा एवं निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ.प्र. को समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाए। ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 31.08.2025 तक सेवानिवृत्त हो रहे है वे भी पुनर्नियुक्ति हेतु आवदेन कर सकते है।

14/08/2025

(रजत सिंह जैन)
जनपद न्यायाधीश,
इटावा।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, इटावा।

स्वप्रमाणित फोटो

1- सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम	
2- पिता का नाम	
3- जन्मतिथि	
4- आयु दिनांक	
5- सेवानिवृत्त की तिथि	
6- आवेदित पद का नाम	
7- स्थायी निवास	
8- अस्थायी निवास (यदि कोई हो) पत्राचार हेतु	
9- अंतिम धारित पद	
10- मोबाइल नम्बर/ई०मेल आई०डी०	
11- अंतिम धारित पद पर आहरित अंतिम प्रमाण पत्र और अंतिम पेंशन प्रमाण पत्र संलग्नक करें।	
12- पिछले पाँच साल के ए.सी.आर की सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी केवल उन कर्मचारियों के लिये जो इटावा के अलावा अन्य जिला न्यायालय से है।	

घोषणा

मैं...पुत्रपुत्री..
निवासी ....
प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदन में अंकित विवरण मेरे निजी ज्ञान में है मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ तथा कार्य करने में सक्षम हूँ। मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा लम्बित एवं पंजीकृत नहीं है।

हस्ताक्षर आवेदक